दिनांक 23 मार्च 2018 को सुबह 11:00 बजे डेंजोंग रिजेन्सी, गंगटोक के बेनकुएट हॉल में आयोजित न्यायालय की प्रथम बैठक

दिनांक 23 मार्च 2018 को सुबह 11:00 बजे डेंजोंग रिजेन्सी, गंगटोक में आयोजित न्यायालय की प्रथम बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. जस्टिस (से.नि) श्रीमती रुमा पाल - अध्यक्ष
   कुलाधिपति
2. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग - सदस्य
   कुलपति
3. डॉ. शंकर नाथ मुखोपाधाय्य - सदस्य
   कुलाधिपति, टेक्नो फ्लोबल विश्वविद्यालय
   शिलांग, मेघालय
4. प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा - सदस्य
   कुलपति, कुरिक्षेत्र विश्वविद्यालय
   कुरुक्षेत्र, हरियाणा
5. प्रो. जी.पी.प्रसाइन, प्रोफेसर - सदस्य
   वाणिज्य विभाग
   मणिपुर विश्वविद्यालय
   इम्फ़ाल, मणिपुर
6. मेजर जनरल (से.नि) अशोक कुमार - सदस्य
   शिक्षाविद एवं एचआरएम एवं डी
   कोलकाता
7. प्रो. बिनायक एस. चौधुरी - सदस्य
   प्रोफेसर, गणित विभाग
   भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान,
   शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
8. प्रो. पद्माकर त्रिपाठी - सदस्य
   पूर्व कुलसचिव एवं डीन,
   कृषि महाविद्यालय
   आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
   फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
9. प्रो. निखिलेश गुहा, - सदस्य
   पूर्व प्रोफेसर, इतिहास विभाग
   कल्याणी विश्वविद्यालय
   कल्याणी, पश्चिम बंगाल
10. डॉ. धनपत राम अगरवाल - सदस्य
    अर्थशास्त्री एवं वित्तीय विश्लेषक
    कोलकाता, पश्चिम बंगाल

11. डॉ. नागराज राव हवलदार - सदस्य
हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक
सुरेन्द्र कला फ़ाउंडेशन
बेंगलुरु, कर्नाटक

12. डॉ. अमिताभ मिश्रा - सदस्य
न्यूरो सर्जन एवं मालिक
संजीवनी न्यूरो और बहुविशेषज्ञता हॉस्पिटल
सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल

13. श्री एच.बी. काजमी - सदस्य
सचिव, यागदार-ई-हुसैली सोसाइटी
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

14. डॉ. विशेष कुमार गुप्ता - सदस्य
प्राचार्य, महाराजा हरिश्चंद्र पी.जी. कॉलेज
मोरदाबाद, उत्तर प्रदेश

15. डॉ. एम.पी. खरेल - सदस्य
ओएसडी, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार
गंगटोक, सिक्किम

16. डॉ. प्रज्ञा पारमिता सरकार - सदस्य
सह प्राध्यापक, इतिहास विभाग
आचार्य ब्रजेन्द्र नाथ सील महविद्यालय
कूचबहर, पश्चिम बंगाल

17. डॉ. इन्दिरा जावेद - सदस्य
सह प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग
सरोजिनी नायडू सरकारी बालिका पीजी महाविद्यालय
भोपाल, मध्यप्रदेश

18. डॉ. पार्थ प्रतिम पॉल - सदस्य
सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग
असम विश्वविद्यालय
सिल्चर, असम

19. श्री नारायण शर्मा - सदस्य
सहायक प्राध्यापक, नेपाली विभाग
सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग
सिक्किम

20. श्री टी.के.कौल - सदस्य - सचिव
कुलसचिव, सिक्किम विश्वविद्यालय

निम्नलिखित सदस्यों से खेद प्राप्त हुई :

1. डॉ. सुजीत कुमार घोष, अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई आधायायन संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

2. डॉ. पद्मा सुब्रमण्यम, निदेशक, नृत्योदय, चेन्नई, तमिलनाडू

3. प्रो. तमो माइबांग, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, अरुणाचल प्रदेश

4. प्रो. आद्य प्रसाद पांडे, कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय , इम्फ़ाल, मणिपुर

5. श्री सुकमल चंद्र बसु, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र बैंक, ठाणे, महाराष्ट्र

6. डॉ. सरूप प्रसाद घोष, कुलसचिव, टेक्नो इंडिया प्रसयोगिकी कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

7. प्रो. अचिंत्य बिस्वास, प्रोफेसर, बंगाली विभाग, यादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता

8. डॉ. प्रणव कुमार चटर्जी, पूर्व निदेशक, राज्य संग्रहालय निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

9. प्रो. रमेश के. गौतम, प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

10. प्रो. बलवंत जानी, पूर्व कुलपति, हेमचन्द्राचर्या नॉर्थ गुजरात विश्वविद्याल, राजकोट गुजरात

11. श्री सोनम लेंडुप, महासचिव, हिमालयी बाइद्ध सांस्कृतिक संघ, दिल्ली

निम्नलिखित विशेष आमंत्रित बैठक में उपस्थित थे :

1. श्री देवाशीष पाल, वित्त अधिकारी
2. डॉ. देवाशीष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक
3. प्रो. ए.एस.चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष
4. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
5. प्रो. वी. रामा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
6. प्रो. नावक के. पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
7. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ
8. डॉ. के.आर.राममोहन, डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कोर्ट के अध्यक्ष ने न्यायालय की प्रथम बैठक में सभी सदस्यों को स्वागत किया। इसके बाद परिचय सत्र था। सदस्य सचिव ने सदस्यों के समक्ष अपना, कुलाधिपति और कुलपति का परिचय प्रस्तुत किया। इसके बाद अन्य सदस्यों ने अपना-अपना स्व-परिचय प्रस्तुत किया।

इसके बाद एजेंडा के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ किया :

खंड -1
बैठक की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

चूंकि यह कोर्ट की प्रथम बैठक है, अत: पूर्व की बैठक के कार्यवृत्त की कोई संपुष्टि नहीं है और न ही कोई कार्रवाई रिपोर्ट।

खंड -2
सूचनात्मक मद

सीटी1.2.1: वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यों पर एक रिपोर्ट

अध्यक्ष ने कुलपति को वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया।

कुलपति ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद कुछ सदस्यों ने कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा और कुछ सुझाव भी दिये गए।

स्पष्टीकरण परिसर के निर्माण, निधियों की उपलब्धता, यांगयांग के आस-पास की बुनियादी सुविधाएं, जैसे सड़क संजोग, जल और बिजली आपूर्त आदि के संबंध में मांगा गया था। कुल सदस्यों ने संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, ललित कला जैसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने और यहाँ तक चिकित्सा महाविद्यालय, विकलांग प्रकोस्थ की स्थापना और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सुझाव दिया।

सभी सदस्यों का एक मत था कि यूजीसी परिसर के निर्माण कार्य सम्पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय को यथोचित निधि उपलब्ध कराएं ताकि विश्वविद्यालय को किराए के भवनों से स्थायी परिसर में स्थानांतरित किया जा सके।

खंड -3
अनुसमर्थित विषय

सीटी 1.3.1: वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

कोर्ट को सूचित किया गया था कि कार्यकारी परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 तैयार की गयी है दिनांक 1 दिसंबर 2017 को आयोजित कार्यकररिणी परिषद की 29वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 30 जनवरी 2018 को एमएचआरडी को भेजा गया।

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कॉर्ड के सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के लिए सूचनाओं का संग्रह, तथ्यों के संकलन में संपादकीय समिति के कार्यों की सराहना की। सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट में नियुक्ति से संबन्धित तथ्य देने के लिए सुझाव दिया। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एमएचआरडी को भेजे जाने के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 को अनुसमर्थित किया गया।

सीटी 1.3.2: विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा 2016-17 और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कोर्ट को सूचित किया गया था कि वित्त समिति और कार्यकारिणी परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखा 2016-17 तैयार की गयी और कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के बाद नियंत्रक और महा लेखा निरीक्षण की ओर से महा लेखा निरीक्षक, सिक्किम द्वारा लेखा परीक्षा की गयी थी। दिनांक 1 दिसंबर 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 29वीं बैठक में वित्त समिति की सिफ़ारिश पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा 2016-17 को अनुमोदित किया गया था। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एमएचआरडी को भेजा गया है।

वित्त अधिकारी द्वारा सदस्यों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। कोर्ट के सदस्यों ने वार्षिक लेखा 2016-17 के संकलन में कर्मचारी सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। जबकि, कुछ सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या लेखा परीक्षकों द्वारा कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी। सदस्यों को सूचित किया गया कि लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमुख प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी थी।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि आंतरिक लेखा परीक्षा तिमाही के आधार पर की जानी है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने और परिसंपत्तियों के नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन के संबंध में दिये गए सुझावों को वार्षिक लेख में दिया गया है। कोर्ट को सूचित किया गया था कि परिसंपत्तियों का प्रत्यक्षा सत्यापन प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के साथ भिन्नता रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। अ-वर्गीकृत परिसंपत्तियों मिलन में ये रिपोर्ट मददगार होती है। कोर्ट को सूचित किया गया था कि वर्ष 2016-17 की लेखा पर लेखा परीक्षा करते समय परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन कार्य चल रहा है और इसीलिए उस समय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जैसा कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसके बारे में टिप्पणी है।

रु. 26,56 करोड़ रुपये के निवेश के प्रश्न के संदर्भ में कोर्ट को सूचित किया गया था कि व्यय धीरे धीरे होता है और वह अनुदान राशि, जो तत्काल खर्च करने योग्य नहीं है, को बेहतर ब्याज अर्जित करने के लिए बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा जाता है।

खंड -4
विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

सीटी 1.4.1: वित्त समिति के सदस्यों का नामांकन

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया था कि संविधि 17(1)(iii) के अनुसार न्यायालन ने वित्त समिति के लिए एक व्यक्ति को नामित किया है। उन्होंने कुलपति से सदस्यों को वित्त समिति के लिए कोरम होने में आ रही कठिनाई के बारे में भी अवगत कराने को कहा। कुलपति ने गंगटोक में वित्त समिति की बैठक आयोजित करने में आ रही कठिनाइयों और यहाँ तक दिल्ली में आयोजित करने के बावजूद कोरम पूरा होने में आ रही कठिनयों के बारे में अवगत कराया। उन्होने सदस्यों को सूचित किया कि वर्तमान वित्त समिति में सात सदस्य हैं, जिनमें से पाँच सदस्यों की उपस्थिती बैठक के लिए कोरम पूरा करती है।

सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक सदस्य कुलपति को ईमेल के माध्यम से एक नाम सुझाएँ और कुलाधिपति के साथ परामर्श करते हुए उन नामों में से एक नाम का चयन करने हेतु कुलपति को प्राधिकृत करें।

कुछ सदस्य इस सुझाव में सहमत नहीं हुए और बैठक में नाम के बारे में चर्चा करने के लिए इच्छा प्रकट की। लंबे विचार-विमर्श के बाद वित्त समिति के लिए कोर्ट के एक सदस्य को नामित करने के लिए डॉ. धनपट राम अगरवाल के नाम पर सहमति हुई थी। उन्होंने कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि वे वित्त समिति की बैठक के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे।

सीटी 1.4.2: कोर्ट की बैठक के आयोजन पर विनियम

कोर्ट कि बैठक के आयोजन पर मसौदा विनियमों पर धारा-दर-दर चर्चा की गयी थी और सदस्यों द्वारा कुछ संशोधन का सुझाव दिया गया, जिसे शामिल की गयी थी। कुछ सदस्यों ने कोर्ट की बैठकों का आयोजन वर्ष में कम से कम दो वार करने की सलाह दी।

कोर्ट की बैठकों के आयोजन के लिए इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 में दिये गए विनियमों को अंतत: अनुमोदित किया गया।

खंड - 5
अध्यक्ष की ओर से विषय

सीटी 1.5.1: अध्यक्ष ने सदस्यों से सुझावों तथा सलाहों के लिए सत्र को मुक्त कर दिया : निम्नलिखित सुझाव/सलाह दी गयी :

i) ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करना, जो रोजगार देने का सामर्थ्य रखता हो।
ii) विश्वविद्यालय के विकास के भावी पाठ्यक्रम के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति का गठन किया जाना है।
iii) विश्वविद्यालय की शक्तियों के आकलन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाए ताकि उसकी रैंकिंग में सुधार हो सके। विचार-मंथन सत्र भी आयोजित किए जाएँ।
iv) उन क्षेत्रों में उत्कृस्तता केंद्र खोले जाएँ जो स्वदेशी हो।
v) बुनियादी सुविधाएँ विकसित करना।

इसके बाद प्रशासन प्रमुखों और डीन ने उनके संबन्धित विभागों और विधापीठों के बारे में संक्षित विवरण प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-
(प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग)
कुलपति

हस्ता./-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव